

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
पत्रावली बनाम सरका
 मु. सं.

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

03.10.22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी
 उप. भाये। अर्थात् सं. 2 पूर्व में स्वयं
 उप. भाया लेकिन बाद में उप. नहीं आया
 एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं
 तथा वकील जार्जी की एकपक्षीय बहस
 सुनी गई। पत्रावली वाले आदेश दिनांक
 01.04.2022 को पेश हो

01.04.2022

दिनांक 01.4.22
 आज पत्रावली पेश हुई। वकील...
 पक्ष उपस्थित... साहब बाहर पधारे हैं।
 पत्रावली पूर्व दिनांक ... 5-4-22
 को पेश हो।
 रीटर

05.04.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उप. भाये।
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। जार्जी
 का ज. पत्र #36 अ-शब्द की धारा-136
 की परिधि में नहीं आने के कारण खारिज
 किया जाता है निर्णय एक से लिखाया जाकर
 अंतिम जारी किया गया

उपजिला अधिकारी
 महवा